प्लांट व मशीनरी के लिए एमएसएमई ले सकेंगे 100 करोड़ तक लोन

जाब्यू, नई दिल्ली : मैन्यूफैक्चरिंग के प्रोत्साहन के लिए बैंक अब एमएसएमई को प्लांट और मशीनरी की खरीदारी के लिए 100 करोड़ तक का लोन देंगे। 2024-25 के बजट में पारस्परिक ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई थी, इसमें 60 प्रतिशत सरकारी गारंटी के साथ एमएसएमई को मशीनरी खरीदने के लिए 100 करोड़ लोन देने का प्रविधान किया गया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई से इसकी शुरुआत की। इसे पाने के लिए एमएसएमई का उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत होना जरूरी है। योजना में 50 करोड़ तक लोन को उद्यमी आठ साल में चुका सकेंगे। गारंटी कवर के लिए आवेदन के समय लोन राशि का पांच प्रतिशत अग्रिम अंशदान के रूप में जमा किया जाएगा। गारंटीकृत लोन राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन परियोजना लागत अधिक हो सकती है। मशीनरी की न्यूनतम लागत परियोजना लागत का 75 प्रतिशत होनी चाहिए।